न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बरेली।

उपस्थितः प्रदीप कुमार सिंह–II "उच्चतर न्यायिक सेवा"

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 612/2026

CNR N0.UPBR01002444-2026

1. फजल उर्फ भोला पुत्र नरवर खॉ,

2. **रिजवान** पुत्र वकील अहमद,

निवासीगण ग्राम कंजादासपुर, थाना इज्जतनगर, जिला बरेली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या 1103/2025

धारा–191(2),191(3),190,333,109,351(3),324(4) बी.एन.एस.

थाना–इज्जतनगर, जिला बरेली।

07.03.2026

1. थाना इज्जतनगर, जिला बरेली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1103/2025, धारा–191(2),191(3),190,333,109,351(3),324(4) बी.एन.एस. में आवेदकगण /अभियुक्तगण **फजल उर्फ भोला** एवं **रिजवान** की ओर से प्रथम जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें गॉव की राजनैतिक पार्टीबन्दी की वजह से झूठा नामजद किया गया है। आवेदकगण ने वादिनी मुकदमा व उसके परिजनों पर कोई जान लेवा हमला नहीं किया है और न ही किसी को चोटें पहुॅचायी गयी हैं। आवेदकगण की तरफ से उसी दिन व समय क्रास केस भी धारा–191(2), 191(3),131,351(3),115(2) बी.एन.एस. का दर्ज कराया गया है जिसमें उनके पक्ष के लोगों को भी चोटें आयी थी। आवेदकगण अग्रेसर नहीं हैं और न ही दर्शायी गयी घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकगण की कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित नहीं की गयी है। आवेदकगण दिनॉक 23.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक को अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

3. वादिनी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया कि जमानत प्रार्थनापत्र झूठे व आधारहीन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। दिनॉक 16.01.2025 को समय शाम 7.00 बजे आवेदकगण व अन्य सहअभियुक्तगण ने एक राय होकर वादिनी के जेठ हासम खॉ, बेटा रेहान व भतीजे जावेद खॉ को लाठी, डण्डे, फावड़ा, सरिया, राड व चाकू आदि तेज धारदार हथियारों से जान से मारने की नियत से मारा।

4. वादिनी के व्यक्तिगत विद्वान अधिवक्ता के सहयोग से प्रभारी विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया कि अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र झूठे व आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। घटना की दिनॉक 16.11.2025 को समय 7.00 बजे शाम आवेदक व अन्य सहअभियुक्तगण ने एक राय होकर वादिनी के जेठ हासम खॉ, बेटा रेहान व भतीजे जावेद खॉ को लाठी डण्डें, फावड़ा एवं सरिया आदि धारदार हथियारों से जान से मारने की नियत से मारा। वादिनी व उसके परिजन पुराना मकान तुड़वाकर पुनः निर्माण करा रहे हैं जिससे निर्माण में बाधा डालने के उद्देश्य से लेंटर की बल्ली गिरा दी, घर में घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट करने लगे। मकान पर कब्जा करने के उद्देश्य से पहले से ही बुराई मानते हैं तथा समझौते की धमकी दे रहे हैं कि समझौता नहीं किया तो इलाज करने लायक भी नहीं छोडेंगे। चुटहिल हासम खॉ को गंभीर चोटें आयी है

जिसका जिला अस्पताल में सी.टी. स्कैन हुआ तथा उचित इलाज हेतु के.जी.एम.यू. लखनऊ रेफर किया गया तथा अब भी चुटहिल का इलाज श्री राममूर्ति इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस बरेली में आज भी चल रहा है। आवेदकगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है तथा उसके विरूद्व मु0अ0सं0 129/2021 धारा 147,148,323,452,504,506 भा0दं0सं0 का मुकदमा दर्ज है। आवेदकगण व सहअभियुक्तगण प्रायः मुहल्ले में मारपीट करते रहते हैं परन्तु इनके डर के कारण कोई शिकायत नहीं करता है। आवेदक रिजवान की अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 1944/2025 दिनॉक 19.01.2026 को निरस्त किया जा चुका है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा वादिनी की सहायता से विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि धारा 190 बी.एन.एस. के आरोप हेतु घटना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट भूमिका की आवश्यकता नहीं है, मात्र समान आशय देखा जाता है। चुटहिल को गंभीर चोटें आयी हैं। वादिनी ने अन्य अभियुक्तगण के मध्य विवाद करके घ ाटनास्थल पर वारदात कारित की है। अग्रिम जमानत में आवेदक रिजवान की घटनास्थल पर उपस्थित न होने का आलम्बन लिया गया है जबकि वर्तमान जमानत प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि आवेदक पृथक–पृथक आलम्बन ले रहा है।

6. जवाबुल बहस में मात्र इतना कथन किया गया है कि चुटहिल को किसी भी धारदार हथियार की चोट नही आयी है। लिंटर गिरने के कारण उससे चोट आना सम्भाव्य है।

7. मैंने उभय पक्षों के तर्कों को विस्तार से सुना तथा समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

8. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी का कंजादासपुर में पुराना मकान था जिसे तुडवाकर नया निर्माण कर रही थी। आज दिनॉक 16.11.2025 को उसके मकान पर लिंटर पड़ रहा था, समय शाम 7.00 बजे जब लेबर लिंटर डालकर चले गये तभी उसके मोहल्ले के चलमलिया उर्फ नबी रजा, मो0 रजा, फरीद खॉ, खुर्शीद, टिल्लू, इरफान खॉ, इमरान, फजल उर्फ भोला, रिजवान, लड़लिया, फूॅल खॉ, नर्गिस, अंजुम, भोली, सद्दाम ,छोटी लल्ली, आयशा, आरिफ खॉ, हसन खॉ अपने–अपने हॉथों में लाठी डण्डे, फावड़ा, सरिया राड़, चाकू आदि के तेजधार के हथियार लेकर आये तथा उक्त लोगों ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे तोड़े लिंटर की बल्ली गिरा दिया। वादिनी जहॉ रह रही है, वहॉ घुसकर तोड़फोड की। उपरोक्त लोगों ने हाथों में लिये चाकू, फावड़े, डण्डे, राड़ से उसके पुत्र रेहान, जेठ हासम खॉ एवं जावेद पर जान से मारने की नियत से हमला किया जिसमें हासम खॉ, जावेद खॉ एवं रेहान के गंभीर चोटें आयी और उसके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है जिससे टूटने से पहले की रिकार्डिंग मौजूद है। उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देकर चले गये।

9. घटना में चुटहिल जावेद की आघात आख्या के अनुसार उसकी दाहिनी जॉघ पर दर्द की शिकायत पायी गयी।

10. चुटहिल रेहान की आघात आख्या के अनुसार उसके सिर पर पीछे की ओर 2.50 सेमी. x 3.00 सेमी. का फटा हुआ घाव पाया गया।

11. चुटहिल हासम खॉ की आघात आख्या के अनुसार उसकी दाहिनी भौं पर 3.00 सेमी. x 2.00 सेमी. का खरोंचदार निशान, नाक पर बॉयी तरफ 2.00 सेमी. x 1.00 सेमी. का खरोंचदार नीलगू निशान, बॉयी ऑख के समान्तर 2.00 सेमी. x 2.00 सेमी. का खरोंचदार नीलगू निशान, बॉये कंधे के मध्य में 2.00 सेमी. x 0.20 सेमी. का कटा हुआ घाव, बॉयी तरफ ओठ पर 1.00 सेमी. x 1.00 सेमी. का खरोंचदार निशान, बॉये कान पर दर्द व कम सुनने की

शिकायत और सिर पर दाहिनी तरफ 1.50 सेमी. x 0.20 सेमी. का फटा हुआ घाव पाया गया। आघात संख्या 1,3 व 7 को प्रेक्षण में रखा गया तथा एक्सरे की सलाह दी गयी। आघात संख्या 5 को धारदार हथियार से कारित करना बताया गया।

12. हासम खॉ के एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार उसकी नाक की हड्डी पर तथा सिर पर दो जगह अस्थि भंग पाया गया।

13. दूसरे पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–1104/2025 दिनॉक 17.11.2025 को दर्ज करायी गयी जिसमें यह कथन वर्णित है कि–वादी किसी निजी काम से अपने घ ार की तरफ लगभग 7.00बजे शाम अपने भाई खुर्शीद के साथ जा रहे थे तभी रास्ते में नरोज खॉ, सुभान, निजाम, हासिम चॉद खॉ गोटिया, रिहान, सद्दाम एवं फैसल आदि एक राय होकर उसे घेर लिया एवं लाठी डंडो, फावड़ा व नाजायज असलहों से घर कर हमला कर दिया जिससे वादी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा तभी वहॉ यह सब देखकर वादी की भाभी अपने देवर फैजल को बचाने आयी तभी उन लोगों ने वादी की भाभी नरगिस को भी लाठी डण्डों से पीटना शुरू कर दिया। गॉव के सभी लोग इकट्ठे हो गये तभी ये सभी जान से मारने की धमकी देते हुए व देख लेने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये।

14. जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक फजल खॉ की सी.टी. स्कैन रिपोर्ट की छाया प्रति दाखिल की गयी है जिसके सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा कोई विशिष्ट कथन नहीं किया गया है और उक्त आख्या में सिर के पैराइटल हड्डी में अस्थि भंग पाया जाना अंकित है।

15. जमानत प्रार्थनापत्र में आवेदकगण की तरफ से अभिकथित उपरोक्त वर्णित तथ्यों के संदर्भ में इस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि घटना की तिथि, समय व स्थान विवादित नहीं है।

16. उपरोक्त परिस्थितियों में घटना में आवेदकगण की भूमिका के संदर्भ में अभिकथित परिस्थिति, घटना में आवेदकगण की भूमिका के संदर्भ में अभिकथित तथ्यों और उसके सम्बन्ध में दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त एवं वर्तमान वाद में चुटहिल हासम खॉ, रेहान एवं जावेद को कारित चोटों के दृष्टिगत मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना यह न्यायालय इस मत की है कि आवेदकगण की जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण **फजल उर्फ भोला** एवं **रिजवान** का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति रिमाण्ड/विचारण पत्रावली में रखी जाये।

(प्रदीप कुमार सिंह–II)
आई.डी.यू.पी.1905
सत्र न्यायाधीश,
बरेली।

दिनांकः 07.03.2026

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SINGH
Date: 2026.03.07 17:42:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court